इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8] भोपाल, सोमवार, दिनांक 7 जनवरी 2013—पौष 17, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2013

क्र. 85-9-इक्कीस-अ(प्रा.)/अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 7 जनवरी 2013 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २ सन् २०१३

मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१२

विषय-सूची.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.

२. धारा २ का संशोधन.

३. धारा ४ का संशोधन.

४. धारा ९-ग का संशोधन.

५. धारा १० का संशोधन.

६. धारा १४ का संशोधन.

७. धारा १७ का संशोधन.

८. धारा २०-क का संशोधन.

९. धारा ३९ का संशोधन.

१०. धारा ४३ का संशोधन.

११. धारा ५५ का संशोधन.

१२. धारा ७१ का संशोधन.

१३. अनुसूची-१ का संशोधन.

१४. अनुसूची-२ का संशोधन.

१५. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २ सन् २०१३

मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१२.

[दिनांक ७ जनवरी, २०१३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', में दिनांक ७ जनवरी, २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१२ है. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**

(२) (क) इस संशोधन अधिनियम की धारा २ के उपबंध १ अक्टूबर, २०१२ से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे.

(ख) इस संशोधन अधिनियम की धारा ३, ६ (दो) तथा १४ के उपबंध मध्यप्रदेश राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

(ग) इस संशोधन अधिनियम की धारा ४ के उपबंध १ अप्रैल, २०१२ से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे.

(घ) इस संशोधन अधिनियम की धारा ८ के उपबंध १ अप्रैल, २०१२ को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली कालावधियों को लागू होंगे.

(ङ) इस संशोधन अधिनियम की धारा ९ के उपबंध १ अप्रैल, २०११ को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली कालावधियों को लागू होंगे.

(च) इस संशोधन अधिनियम की धारा १३ के उपबंध १ अप्रैल, २००६ से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे.

(छ) इस संशोधन अधिनियम के शेष उपबंध १७ सितम्बर, २०१२ से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे.

२. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में, खण्ड (फ) में, स्पष्टीकरण में, खण्ड (चार) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :— **धारा २ का संशोधन.**

''(पांच) अनुसूची-२ के भाग-तीन क में यथाविनिर्दिष्ट डीजल और पेट्रोल के विक्रय के लिए, धारा ९ की उपधारा (२) के अधीन अधिसूचित आइल कंपनियों द्वारा प्राप्त किए गए या प्राप्त किए जाने योग्य मूल्यवान प्रतिफल की रकम उस मूल्य के बराबर होना समझी जाएगी जिस पर कि रिटेल आउटलेट्स द्वारा उपभोक्ता को इन मालों का विक्रय किया जाएगा.''.

३. मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा (५) में अंक ''६२'' के स्थान पर, अंक ''६३'' स्थापित किया जाए. **धारा ४ का संशोधन.**

४. मूल अधिनियम की धारा ९-ग में,— **धारा ९-ग का संशोधन.**

(एक) उपधारा (१) में,—

(क) खण्ड (क) में, विद्यमान परन्तुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

''परन्तु यह और कि धारा १७ के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी व्यापारी या धारा ९-ख के अधीन तालिकांकित (एनरोल्ड) किसी भवन निर्माता से संबंधित माल के संबंध में, मध्यप्रदेश राज्य के भीतर रेलवे स्टेशन से उसके गोदाम तक ले जाने के संबंध में कोई कर देय नहीं होगा :

''परन्तु यह भी कि धारा १७ के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी व्यापारी या धारा ९-ख के अधीन तालिकांकित (एनरोल्ड) किसी भवन निर्माता से संबंधित माल के संबंध में, किसी नगरपालिक क्षेत्र के भीतर, या ऐसे क्षेत्र के भीतर जो कि अधिसूचित किया जाए, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के संबंध में, कोई कर देय नहीं होगा.'';

(ख) खण्ड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(च)'' माल ले जाने वाले मोटर यान का प्रभारी व्यक्ति अपने साथ विहित प्ररूप में जारी की गई रसीद रखेगा.'';

(दो) उपधारा (२) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किए जाएं, अर्थात :—

''परन्तु यदि परिवहनकर्ता धारा १७ के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई व्यापारी या धारा ९-ख के अधीन तालिकांकित (एनरोल्ड) कोई भवन निर्माता है, तो ऐसे परिवहनकर्ता से इस उपधारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी:

परन्तु यह और कि ऐसे परिवहनकर्ता से जो अनन्यरूप से धारा १७ के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी व्यापारी या धारा ९-ख के अधीन तालिकांकित (एनरोल्ड) किसी भवन निर्माता का माल ही ले जाता है, इस उपधारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी.'';

(तीन) उपधारा (३) में, खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(घ) ऐसे कर के संबंध में, जो उपधारा (४) के अधीन काटा गया है, रिबेट का कोई दावा नहीं किया जाएगा या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.'';

(चार) उपधारा (६) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''परन्तु धारा १८, २० तथा ३९ के उपबंध किसी ऐसे परिवहनकर्ता को लागू नहीं होंगे जो अनन्यरूप से धारा १७ के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी या धारा ९-ख के अधीन तालिकांकित (एनरोल्ड) भवन निर्माता का माल ही ले जाता है.'';

(पांच) स्पष्टीकरण में,—

(क) खण्ड ''ख'' के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात :—

''(ख) ''मोटर यान'' से अभिप्रेत है, मोटर यान अधिनियम, १९८८ (१९८८ का ५९) के अर्थ के अन्तर्गत कोई मोटर यान (परिवहन यान के रूप में उपयोग में लाए गए हल्के मोटरयान तथा मध्यम मोटर यान को छोड़कर) जिसमें उससे संलग्न ट्रेलर सम्मिलित हैं'';

(ख) खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(घ) "नगरपालिक क्षेत्र" का वही अर्थ होगा जो मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में उसके लिए दिया गया है.".

५. मूल अधिनियम की धारा १० में, उपधारा (२) में, खण्ड (क), में, कोष्ठक तथा अंक "(१)" के स्थान पर, कोष्ठक तथा अंक "(२)" स्थापित किये जाएं. **धारा १० का संशोधन.**

६. मूल अधिनियम की धारा १४ में,— **धारा १४ का संशोधन.**

(एक) उपधारा (१) में, खण्ड (ख) में, दो बार आने वाले शब्द, कोष्ठक तथा अक्षर "खण्ड (ख)" के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक तथा अक्षर "खण्ड (ख) या खण्ड (ग)" स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (१ क ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(१ क च) ऐसे निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो कि विहित की जाएं, जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, अनुसूची-२ के भाग-तीन क में यथाविनिर्दिष्ट टिम्बर, मध्यप्रदेश राज्य के भीतर ऐसे अन्य व्यापारी से उसे आगत कर के भुगतान के पश्चात् क्रय करता है और उपभोक्ता तब इस प्रकार क्रय किए गए टिम्बर का उपयोग माल के, तैयार फर्नीचर को छोड़कर विनिर्माण में करता है और इस प्रकार विनिर्मित माल का मध्यप्रदेश राज्य के भीतर विक्रय करता है तो वह ऐसे आगत कर की राशि के आगत कर के रिबेट का दावा ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर, जैसी कि विहित की जाए, करेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा.".;

(तीन) उपधारा (६) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(६ क) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किसी भी दशा में माल के किसी क्रय पर आगत कर रिबेट की राशि, माल के ऐसे क्रय के संबंध में शासकीय कोषालय में, अधिनियम के अधीन, वास्तविक रूप से चुकाए गए कर की राशि से अधिक नहीं होगी.".

७. मूल अधिनियम की धारा १७ में,— **धारा १७ का संशोधन.**

(एक) उपधारा (२) में, खण्ड (क) में, कोष्ठक तथा अंक "(१)" के स्थान पर, कोष्ठक तथा अंक "(२)" स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (५) में, खण्ड (क) में, कोष्ठक तथा अंक "(१)" के स्थान पर, कोष्ठक तथा अंक "(२)" स्थापित किए जाएं.

८. मूल अधिनियम की धारा २०-क में, उपधारा (१) में, खण्ड (क) में, उपखण्ड (एक) में, शब्द "साठ लाख" के स्थान पर, शब्द "एक करोड़" स्थापित किए जाएं. **धारा २०-क का संशोधन.**

९. मूल अधिनियम की धारा ३९ में, उपधारा (२) में शब्द "साठ लाख" के स्थान पर, शब्द "एक करोड़" स्थापित किए जाएं. **धारा ३९ का संशोधन.**

१०. मूल अधिनियम की धारा ४३ में, उपधारा (१) में, कोष्ठक तथा अक्षर "(छ)" के स्थान पर, कोष्ठक, अक्षर तथा शब्द "(छ) तथा (ज)" स्थापित किए जाएं. **धारा ४३ का संशोधन.**

धारा ५५ का संशोधन.

११. मूल अधिनियम की धारा ५५ में, उपधारा (१) में, कोष्ठक तथा अक्षर "(छ)" के स्थान पर, कोष्ठक, तथा अक्षर "(ज)" स्थापित किए जाएं.

धारा ७१ का संशोधन.

१२. मूल अधिनियम की धारा ७१ में, उपधारा (२) में ख़ण्ड (घ) में, शब्द कोष्ठक तथा अंक "की उपधारा (१)" का लोप किया जाए.

अनुसूची-१ का संशोधन.

१३. मूल अधिनियम की अनुसूची-१ में, अनुक्रमांक २१ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"२१. मानव रक्त, मानव रक्त प्लाज्मा और मानव रक्त कंपोनेन्ट्स"

अनुसूची-२ का संशोधन.

१४. मूल अधिनियम की अनुसूची-२ में, भाग-तीन में, अनुक्रमांक १ के सामने, कालम (२) में, दो बार आने वाले शब्द "विमानन कम्पनियों को" का लोप किया जाए.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

१५. (१) मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अध्यादेश, २०१२ (क्रमांक ६ सन् २०१२) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2013

क्र. 86-9-इक्कीस-अ(प्रा.)/अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 2 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 2 of 2013

THE MADHYA PRADESH VAT (SECOND AMENDMENT) ACT, 2012

TABLE OF CONTENTS.

Sections :

1. Short title and commencement.
2. Amendment of Section 2.
3. Amendment of Section 4.
4. Amendment of Section 9-C.
5. Amendment of Section 10.
6. Amendment of Section 14.
7. Amendment of Section 17.
8. Amendment of Section 20-A.
9. Amendment of Section 39.
10. Amendment of Section 43.
11. Amendment of Section 55.
12. Amendment of Section 71.
13. Amendment of Schedule-I.
14. Amendment of Schedule-II.
15. Repeal and Savings.

MADHYA PRADESH ACT

No. 2 OF 2013

THE MADHYA PRADESH VAT (SECOND AMENDMENT) ACT, 2012

[Received the assent of the Governor on the 7th January, 2013; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 7th January, 2013.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Vat Act, 2002.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-third year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vat (Second Amendment) Act, 2012.

(2) (a) The provisions of Section 2 of this amending Act shall be deemed to have come into force from 1st October, 2012

(b) The provisions of Section 3, 6 (ii) and 14 of this amending Act shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

(c) The provisions of Section 4 of this amending Act shall be deemed to have come into force from 1st April, 2012.

(d) The provisions of Section 8 of this amending Act shall be applicable to the periods commencing on or after 1st April, 2012.

(e) The provisions of Section 9 of this amending Act shall be applicable to the periods commencing on or after 1st April, 2011.

(f) The provisions of Section 13 of this amending Act shall be deemed to have come into force from 1st April, 2006.

(g) The remaining provisions of this amending Act shall be deemed to have come into force from 17th September, 2012.

Amendment of Section 2.

2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) (hereinafter reffered to as the principal Act), in clause (v), in explanation, after clause (iv), the following new clause shall be inserted, namely :—

"(v) The amount of valuable consideration received or receivable by oil companies notified under sub-section (2) of Section 9, for the sale of diesel and petrol, as specified in Part-IIIA of Schedule II, shall be deemed to be equvalent to the price, on which the retail outlets shall sell these goods to consumer.".

Amendment of Section 4.

3. In Section 4 of the principal Act, in sub-section (5), for the figure "62", the figure "63" shall be substituted.

Amendment of Section 9-C.

4. In Section 9-C of the principal Act,—

(i) in sub-section (1),—

(a) in clause (a), in the existing proviso, for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following provisos shall be inserted, namely:—

"Provided further that no tax shall be payable in respect of the goods belonging to a dealer registered under Section 17 or a builder enrolled under Section 9-B, carried from railway station to his godown within the State of Madhya Pradesh :

Provided also that no tax shall be payable in respect of the goods belonging to a dealer registered under Section 17 or a builder enrolled under Secton 9-B, carried from one place to other place within a municipal area or within such area as may be notified.";

(b) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:—

"(f) the person incharge of a motor vehicle carrying the goods shall carry with him a receipt in the prescribed form.";

(ii) in sub-section (2), for the existing proviso, the following provisos shall be substituted, namely:—

"Provided that if transporter is a dealer registered under Section 17 or a builder enrolled under Section 9-B, such transporter shall not be required to register under this sub-section:

Provided further that the transporter, who carries exclusively the goods belonging to a dealer registered under Section 17 or a builder enrolled under Section 9-B, shall not be required to register under this sub-section.";

(iii) in sub-section (3), after clause (c), the following new clause shall be inserted, namely:—

"(d) No rebate shall be claimed or be allowed in respect of the tax which has been deducted under sub-section (4).";

(iv) in sub-section (6), for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the provisions of Sections 18, 20 and 39 shall not be applicable to a transporter, who carries exclusively the goods belonging to a dealer registered under Section 17 or a builder enrolled under Section 9-B.";

(v) in Explanation,—

(a) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

"(b) "Motor Vehicle" means a motor vehicle (other than light motor vehicle and medium motor vehicle used as transport vehicle) including trailer attached thereto within the meaning of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988)";

(b) after clause (c), the following new clause shall be inserted, namely :—

"(d) "municipal area" shall have the same meaning as assigned to it in the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961).".

Amendment of Section 10

5. In Section 10 of the principal Act, in sub-section (2), in clause (a), for the bracket and figure "(1)", the bracket and figure "(2)" shall be substituted.

Amendment of Section 14

6. In Section 14 of the principal Act,—

(i) in sub-section (1), in clause (b), for the word, bracket and letter "clause (b)" occurring twice, the words brackets and letters "clause (b) or clause (c)" shall be substituted;

(ii) after sub-section (1AE), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(1AF) Subject to such restrictions and conditions as may be prescribed, where a registered dealer purchases timber as specified in Part-III A of Schedule II within the State of Madhya Pradesh from another such dealer after payment to him input tax, and consumes the timber so purchased in manufacture of goods specified in Schedule II, other than ready to use furniture, and the goods so manufactured are sold within the State of Madhya Pradesh, he shall claim or be allowed in such manner and within such period as may be prescribed, input tax rebate of the amount of such input tax.";

(iii) after sub-section (6), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(6A) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Section, in no case the amount of input tax rebate on any purchase of goods shall exceed the amount of tax in respect of such purchase of goods, actually paid under the Act, into the Government Treasury.".

Amendment of Section 17.

7. In Section 17 of the principal Act,—

(i) in sub-section (2), in clause (a), for the bracket and figure "(1)", the bracket and figure "(2)" shall be substituted;

(ii) in sub-section (5), in clause (a), for the bracket and figure "(1)", the bracket and figure "(2)" shall be substituted.

Amendment of Section 20-A.

8. In Section 20-A of the principal Act, in sub-section (1), in clause (a), in sub-clause (i), for the words "sixty lacs", the words "one crore" shall be substituted.

Amendment of Section 39.

9. In Section 39 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "sixty lacs", the words "one crore" shall be substituted.

Amendment of Section 43.

10. In Section 43 of the principal Act, in sub-section (1), for the bracket and letter "(g)", the brackets, letters and word "(g) and (h)" shall be substituted.

Amendment of Section 55.

11. In Section 55 of the principal Act, in sub-section (1), for the bracket and letter "(g)", the bracket and letter "(h)" shall be substituted.

Amendment of Section 71.

12. In Section 71 of the principal Act, in sub-section (2), in clause (d), the words, bracket and figure "sub-section (1) of " shall be omitted.

Amendment of Schedule I.

13. In Schedule I to the principal Act, for serial number 21 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

"21. Human blood, human blood plasma and human blood components".

Amendment of Schedule II.

14. In Schedule II to the principal Act, in Part-III, against serial number 1, in column (2) the words "to aviation companies" occurring twice shall be omitted.

Repeal and savings.

15. (1) The Madhya Pradesh Vat (Amendment) Ordinance, 2012 (No. 6 of 2012) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.